

Most Urgent/ Out Today
Gazette Notification Extra-ordinary (Part-IV)

Government of National Capital Territory of Delhi
(Department of Law, Justice & Legislative Affairs)
8th Level, C-Wing, Delhi Secretariat, I.P.Estate, New Delhi.

No.F.14(24)/LA-2000-01/

Dated July, 2001

To

The Addl. Secretary (GAD/Co-ordination.)
Government of NCT of Delhi,
2nd Level, A-Wing,
Delhi Secretariat, I.P.Estate,
New Delhi-110 002.

Sub: Gazette Notification of the Delhi Protection of Interests of Depositors (in Financial Establishments) Act, 2001 (Delhi Act No.10 of 2001)

Sir,

I am directed to forward herewith two copies of the above notification (English and Hindi version) for publishing in the Delhi Gazette (Part-IV) Extra-ordinary today itself. It is requested that at least 10 copies of the same may be sent to this department as soon as it is received from the press.

Yours faithfully,

(S.R.Maheshwari)
Under Secretary (Law & Judicial)

Encl: As above

No.F.14(24)/LA-2001/ 566

Dated 27 July, 2001

Copy forwarded for information & necessary action :-

1. The Secretary to L.G., Raj Niwas, Delhi.
2. The Secretary to Finance Minister, Delhi Secretariat, New Delhi.
3. The Pr.Secretary (Finance), Delhi Secretariat, New Delhi.
4. Secretary to Chief Minister, Delhi Secretariat, New Delhi.
5. O.S.D. to C.M., Delhi Secretariat, New Delhi.
6. P.S. to Chief Secretary, Delhi Secretariat, New Delhi.
7. Secretary (Legislative Assembly), Old Secretariat, Delhi.
8. Library-in-charge (Vidhan Sabha), Old Secretariat, Delhi.
9. Sh.N.G.Goswami, Legislative Counsel, Law Department, Delhi Secretariat, New Delhi.
10. P.S. to Secretary (Law, Justice & L.A.), Delhi Secretariat, Delhi.

S. R. MAHESHWARI
Under Secretary (L.&J.)
Govt. of Delhi.
(Law & Judl. Deptt.)
Under Secretary (Law & Judicial)
New Delhi

(To be published in Part IV of Delhi Gazette , Extraordinary).

Government of National Capital Territory of Delhi
(Department of Law, Justice & Legislative Affairs)
C-Wing, 8th Level, Delhi Secretariat, I.P. Estate, New Delhi-110002.

No. F.14 (24)/LA-2001/ 551/6570

Dated the 27th July, 2001.

The following Act of Legislative Assembly of the National Capital Territory of Delhi received the assent of the Lieutenant Governor, Delhi on the 20th July, 2001 and is hereby published for general information :-

**THE DELHI PROTECTION OF INTERESTS OF DEPOSITORS (IN
FINANCIAL ESTABLISHMENTS) ACT, 2001**

(Delhi Act No. 10 of 2001).

(As passed by the Legislative Assembly of the National Capital Territory of Delhi on the 3rd April, 2001).

AN

ACT

to protect the interest of depositors (in Financial Establishments)

In the National Capital Territory of Delhi

BE it enacted by the Legislative Assembly of the National Capital Territory of Delhi in the Fifty Second Year of the Republic of India as follows: -



1. Short title and commencement. (1) This Act may be called the Delhi Protection of Interests of Depositors (in Financial Establishments) Act, 2001.

(2) It shall come into force at once.

2. Definitions. In this Act, unless the context otherwise requires,-

(a) "Assistant Collector" means an officer appointed as such under the Delhi Land Revenue Act, 1954 (Act 12 of 1954);

(b) "Competent Authority" means the authority appointed under section 5 ;

(c) "Delhi" means the National Capital Territory of Delhi;

(d) "deposit" includes and shall be deemed always to have

included any receipt of money or acceptance of any valuable commodity by any financial establishment to be returned after a specified period or otherwise, either in cash or in kind or in the form of a specified service with or without any benefit in the form of interest, bonus, profit or in any other form, but does not include –



(i) amount raised by way of share capital or by way of debenture, bond or any other instrument covered under the guidelines given, and regulations made, by the SEBI, established under the Securities and Exchange Board of India Act, 1992 (15 of 1992);

(ii) amounts contributed as capital by partners of a firm;

(iii) amounts received from a scheduled bank or a co-operative bank or any other banking company as defined in clause (c) of section 5 of the Banking Regulation Act, 1949 (10 of 1949);

(iv) any amount received from--

(a) the Industrial Development Bank of India;

(b) a State Financial Corporation;

(c) any financial institution specified in or under section 6 A of the Industrial Development Bank

of India Act, 1964(18 of 1964);

(d) any other institution that may be specified by the
Government in this behalf;

(v) amount received in the ordinary course of business by way
of--

(a) security deposit;

(b) dealership deposit;

(c) earnest money;

(d) advanced against order for goods or services;



(vi) any amount received from an individual or a firm or an
association of individuals not being a body corporate,
registered under any enactment relating to money lending
which is for the time being in force in Delhi;

(vii) any amount received by way of subscriptions in respect of a
chit;

Explanation I.-- "Chit" has the meaning as assigned to it in clause
(2) of section 2 of the Madras Chit Funds Act, 1961 (Madras Act 24
of 1961) as extended to the National Capital Territory of Delhi.

Explanation II. -- Any credit given by a seller to a buyer on the sale
of any property (whether movable or immovable) shall not be

deemed to be a deposit for the purposes of this clause;

(e) "Designated Court" means the Designated Court constituted under section 10;

(f) "Financial establishment" means a person or a group of persons accepting deposit under any scheme or arrangement or in any other manner but does not include a corporation or a co-operative society owned or controlled by any State Government or the Central Government or the Government of any Union territory or a banking company as defined under clause (c) of section 5 of the Banking Regulation Act, 1949 (10 of 1949);

(g) "Government" means the Government of the National Capital Territory of Delhi;

(h) "Lieutenant Governor" means the Administrator of the National Capital Territory of Delhi appointed by the President under article 239 AA of the Constitution.



**3. Fraudulent
default by
Financial
Establishment.**

Any financial establishment, which fraudulently defaults any repayment of deposit on maturity along with any benefit in the form of interest, bonus, profit or in any other form as promised or fraudulently fails to render service as assured against the deposit, every person including the promoter, partner, director, manager or any other person or an employee responsible for the management of

or conducting of the business or affairs of such financial establishments shall, on conviction, be punished with imprisonment for a term which may extend to six years and with fine which may extend to one lakh rupees and such financial establishment shall also be liable for a fine which may extend to one lakh rupees or where such deposit is quantifiable in terms of money, twice the amount involved in such default, whichever is more:



Provided that in the absence of special and adequate reasons recorded in the judgement of the Court, the imprisonment shall not be less than six months and the fine shall not be less than twenty thousand rupees as against each individual and not less than one lakh rupees against such financial establishment.

*Explanation:--*For the purpose of this section, a financial establishment, which commits default in repayment of such deposit with such benefits in the form of interest, bonus, profit or in any other form as promised or fails to render any specified service promised against such deposit, or fails to render any specific service agreed against the deposit with an intention of causing wrongful gain to one person or wrongful loss to another person or commits such defaults due to its inability arising out of impracticable or commercially not viable promises made while accepting such deposit or arising out of deployment of money or

assets acquired out of the deposits in such a manner as it involves inherent risk in recovering the same when needed, shall be deemed to have committed a default or failed to render the specific service, fraudulently.

4. Attachment of properties on default of return of deposits. (1) Government or the Deputy Commissioner of a revenue area of Delhi in their respective jurisdiction, suo-moto or on receipt of the complaints may cause investigation of a complaint or fraudulent transaction referred to in section 3. The Deputy Commissioner shall forward his report to the Competent Authority appointed under section 5 at the earliest.



(2) Notwithstanding anything contained in any other law for the time being in force--

(i) where, upon complaints received from the depositors, or otherwise, the Government is satisfied that any financial establishment has failed,--

(a) to return the deposit after maturity or on demand by the depositor; or

(b) to pay interest or other assured benefit; or

(c) to provide the service promised against such deposit;

or

(ii) where the Government has reason to believe that any financial establishment is acting in a manner detrimental to the interest of the depositors, with an intention to defraud them and if the Government is satisfied that such financial establishment is not likely to return the deposits or make payment of interest or other benefits assured or to provide the services against which the deposit is received, the Government may-



in order to protect the interest of depositors of such financial establishments, after recording reasons in writing, issue an order by publishing it in the official Gazette, attaching the money or other property believed to have been acquired by such financial establishment either in its own name or in the name of any other person from out of the deposits collected by the financial establishment; or

if it transpires that such money or other property is not available for attachment or not sufficient for repayment of the deposits, such other property of the said financial establishment or the personal assets of the promoter, director, partner or

manager or member of the said financial establishment, as the Government may think fit.

(3) On the publication of the order under sub-section (2), all the properties and assets of the financial establishment and the persons mentioned therein shall forthwith vest in the Competent Authority appointed by the Government pending further order from the Designated Court.

5. Appointment of Competent Authority. (1) Government shall while issuing the order under sub-section (2) of section 4, appoint any of its officers not below the rank of a Group 'A' officer as the Competent Authority to exercise control over the money and the properties attached by the Government under section 4.



(2) The Competent Authority shall apply within forty five days from the date of the publication of the said Order, to the Designated Court, supported by one or more affidavits stating the grounds on which the Government has issued the said order under section 4 and the amount of money or other property believed to have been acquired out of the deposits and the details, if any, of persons in whose name such property is believed to have been invested or acquired or any other property attached under section 4, for such further orders as found necessary.

(3) The Competent Authority may also make an application to any Special Court or Designated Court or any other Judicial Forum established or constituted or entrusted with the powers by any other State Government or the Government of any Union territory for adjudicating any issue or subject matter pertaining to money or property or assets of financial establishment under any similar enactment and, where there is no such Designated Court or any other Judicial Forum in respect of money or property or assets belonging to or ostensibly belonging to a financial establishment or any person notified under this Act situated within the territorial jurisdiction of that Designated Court or any other judicial forum, as the case may be, for passing appropriate orders to give effect to the provisions of this Act.



6. Duties and power of the Competent Authority. (1) Without prejudice to the generalities of sub-section (1) of section 5, the Competent Authority may carry out the purpose of this Act.

(2)(i) On receipt of order of appointment, the Competent Authority shall take such necessary actions as is necessary or expedient for taking physical possession of all the monies, properties and assets of the concerned financial establishment expeditiously and the Competent Authority

shall have all the powers which are necessary for the aforesaid purpose.

(ii) Without prejudice to the generality of the powers vested under sub-clause (i) of this sub-section, the Competent Authority shall be entitled to-

- (a) require assistance of any police officer or any other authority or person and on such requisition it shall be the duty of the police officer or such other authority or person to extend necessary assistance;
- (b) open bank accounts in any scheduled commercial bank and credit all monies realized and operate the bank accounts while dealing with the money received in his capacity as Competent Authority;
- (c) require any person believed to be in possession or control over any money, property or assets of the financial establishment, to furnish necessary information, to hand over possession of such assets to the competent authority and such person shall comply with the requisition without any loss of time;
- (d) appoint legal practitioner or chartered accountant or any other person whose services are necessary for taking possession of assets and realization of the assets of the financial establishment;



(e) sell, receive, transfer, endorse or otherwise deal with any marketable security or negotiable instrument belonging to or in the control of the financial establishment and give proper discharge for the same,

(f) sell, transfer or otherwise realize any movable or immovable property belonging to or in the control of the financial establishment either by public auction or with the prior approval of the Designated Court by private arrangements:

Provided that the perishable items of assets shall be sold by public auction as soon as the Competent Authority deems fit.



(g) make payment as per the orders passed by the Designated Court from the bank accounts, and

(h) do all and every act and deed which would be necessary for the speedy realization of the assets of the financial establishments.

Explanation. - For the purpose of this section, the expression "financial establishment" includes the directors, promoters, managers or member of said establishment or any other person whose property or assets have been attached under section 4.

7. Assessment of assets and deposit liabilities: (1) Within sixty days from the date of appointment, the Competent Authority shall assess the deposit liabilities and the assets of the financial establishment and submit the statement thereof to the

Designated Court.

(2) The Competent Authority thereafter shall issue a notice either individually or by means of effective media publication, inviting the claims by secured creditors, if any, and also the depositors of the financial establishment, to submit their claims with proper proof to establish the same.

(3) Every notice under sub-section (2) sent to or deemed to have been effected to claimants shall state that, if the statement of claim is not sent to the Competent Authority before the expiry of the period of one month from the date of notice, the claims shall not be treated as claim entitled to be paid under the provisions of this Act.



(4) Every Notice sent to a secured creditor shall require him to value the security before the expiry of the period of one month from the date of notice and such notice shall also state that if the statement of the claim together with the valuation of the security is not sent to the Competent Authority, the Competent Authority shall value the security and his valuation shall be binding on such secured creditors.

(5) If the claimant fails to comply with the notice as per sub-

section (4), such security shall be valued by the Competent Authority in his best judgement.

8. Report by the Competent Authority. After making a report as per section 7, the Competent Authority shall make an application to the Designated Court seeking permission to make payment to the depositors from out of the money realized. While making such application, the Competent Authority shall assess the liability to the depositors and the other liabilities and in case the money realized or realizable is not sufficient to meet the entire liability, make a submission to the Designated Court seeking permission for making payment to the depositors and disburse the money as per the orders of the Designated Court.



9. Powers of the
Designated Court
regarding
realization of
assets and
payment to
depositors.

(1) The Designated Court shall have all the powers for giving effect to the provisions of this Act.

(2) Without prejudice to the generality of sub-section (1), the Designated Court may-

(a) give any direction to the Competent Authority as it deems fit, for effective implementation of the provisions of this Act;



(b) approve the statement of dues of the financial establishment due from various debtors, assessment of the value of the assets of the financial establishment, finalize the list of the depositors and their respective dues;

(c) direct the Competent Authority to take possession of any assets belonging to or in the control of the financial establishment and sell, transfer or realize the attached assets either by public auction or by private sale as he deems fit depending upon the nature of assets and credit the sale proceeds thereof to the bank accounts;

(d) approve the necessary expenditure to be incurred by the Competent Authority for taking possession and

realization of the assets of the financial establishment.

(e) order for payment to the depositors by the Competent Authority or order for proportionate payment to the depositors in the event of the money so realized is not sufficient to meet the entire deposit liability; and

(f) pass any order which the Designated Court deems fit for realization of the assets of the financial establishment and repayment to the depositors of the financial establishment or on any matter or issue incidental thereto.



Explanation:- For the purpose of this section, the expression 'financial establishment' includes the directors, promoters, managers or members of said establishment or any other person whose property or assets have been attached under section 4.

10. **Designated Court.** (1) For the purpose of this Act, the Government may, with the concurrence of the Chief Justice of the Delhi High Court, by notification in the official Gazette, constitute one or more Designated Courts in the Cadre of District and Sessions Judge including Additional District and Sessions Judge for such area or areas or for such cases or group of cases, as may be specified in the notification.

(2) No Court including the Court constituted under the Presidency Towns Insolvency Act, 1909 (3 of 1909) and the Provincial Insolvency Act, 1920 (5 of 1920), other than the Designated Court shall have jurisdiction in respect of any matter to which the provisions of this Act is invoked.

(3) Any pending case in any other court in respect of which the provisions of this Act is invoked, shall stand transferred to the Designated Courts from the date of notification issued under subsection (2) of section 4 of this Act.

11. **Powers of Designated Court regarding attachment.**

(1) Upon receipt of an application under section 5, the Designated Court shall issue to the financial establishment or to any other person whose property is attached and vested in the Competent Authority by the Government under section 4, a notice



accompanied by the application and affidavits and of the evidence recorded, if any, calling upon the said establishment and the said person to show cause on or before a date to be specified in the notice, why the order of attachment should not be made absolute.

(2) The Designated Court shall also issue such notice to all other persons represented to it as having or being likely to claim, any interest or title in the property of the financial establishment or the person to whom the notice is issued under sub-section (1), calling upon all such persons to appear on the same date as specified in the notice and make objection if they so desire to the attachment of the property or any portion thereof, on the ground that they have an interest in such property or portion thereof.

(3) Any person claiming an interest in the property attached or any portion thereof may, notwithstanding that no notice has been served upon him under this section, make an objection as aforesaid to the Designated Court at any time on or before the specified date before an order is passed under sub-section (4) or sub-section (6).

(4) The Designated Court shall if no cause is shown and no



objections are made on or before the specified date, under sub-section (1), forthwith pass an order making the order of attachment absolute, and issue such direction as may be necessary for realisation of the assets attached and for the equitable distribution amongst the depositors of the money realised from and out of the property attached.

- (5) If cause is shown or any objection is made as aforesaid, the Designated Court shall proceed to investigate the same, and in so doing, as regards the examination of the parties and in all other respects, the Designated Court shall, subject to the provisions of this Act, follow the summary procedure as contemplated under the Code of Civil Procedure, 1908(5 of 1908) and exercise all the powers of a Court in hearing a suit under the said Code. Any person making an objection shall be required to adduce evidence to show that at the date of the attachment he had some interest in the property attached.

- (6) After investigation under sub-section (5), the Designated Court shall pass an order as early as possible preferably within one year of the reference of the case to it, either making the order of attachment passed under sub-section (2) of section 4 absolute or varying it by releasing a portion of the property from attachment or canceling the order of attachment:



Provided that the Designated Court shall not release from attachment any interest which it is satisfied that the financial establishment or the person referred to in sub-section (1) has in the property unless it is also satisfied that there will remain under attachment an amount or property of value not less than the value that is required for re-payment to the depositors of such financial establishment.

- (7) Where an application is made by any person duly authorized or constituted or specified by any other State Government or the Government of any Union territory under similar enactment empowering him to exercise control over any money or property or assets attached by that State Government or the Government of a Union territory, the Designated Court shall exercise all its powers, as if, such an application were made under this Act and pass appropriate order or direction on such application so as to give effect to the provisions of such enactment.

12. Attachment of property of mala fide transferees.

- (1) Where the assets available for attachment of a financial establishment or other person referred to in section 4 are found to be less than the amount or value which such Financial Establishment is required to repay to the depositors and where

the Designated Court is satisfied by affidavit or otherwise that there is reasonable cause for believing that the said financial establishment has transferred (whether after the commencement of this Act) any of the property otherwise than in good faith and for consideration, the Designated Court may, by notice, require any transferee of such property (whether or not he received the property directly from the said financial establishment) to appear on a date to be specified in the notice and show cause why so much of the transferee's property as is equivalent to the proper value of the property transferred should not be attached.



- (2) Where the said transferee does not appear and show cause on the specified date, or where after investigation in the manner provided in sub-section (5) of section 7, the Designated Court is satisfied that the transfer of the property to the said transferee was not in good faith and for consideration, the Designated Court shall order the attachment of so much of the said transferee's property as in the opinion of the Designated Court is equivalent to the proper value of the property transferred.

13. Security in lieu of attachment. Any financial establishment or person whose property has been or is about to be attached under this Act may, at any time, apply to the

Designated Court for permission to give security in lieu of such attachment and where the security offered and given is, in the opinion of the Designated Court, satisfactory and sufficient, it may cancel the order of attachment or, as the case may be refrain from passing the order of attachment

14.

**Administration of
property
attached.**

The Designated Court may, on the application of any person interested in any property attached and vested in the Competent Authority under this Act, and after giving the Competent Authority an opportunity of being heard, make such orders as the Designated Court considers just and reasonable for --

DVS

- (a) providing from such of the property attached and vested in the Competent Authority as the applicant claims an interest in such sums as may be reasonably necessary for the maintenance of the applicant and of his family, and for expenses connected with the defence of the applicant where criminal proceedings have been instituted against him in the Designated Court under section 3;
- (b) safeguarding so far as may be practicable the interest of any business affected by the attachment and in particular, the interest of any partners in such business;
- (c) liabilities accruing to a financial establishment or person emanating out of proceedings before a Designated Court,

shall be discharged in the manner prescribed by the Government out of the attached properties and assets in respect of such financial establishments or person as referred to in section 4.

15. Appeal.

Any person including the Competent Authority, if aggrieved by an order of the Designated Court, may appeal to the High Court within sixty days from the date of order.

16. Special Public Prosecutor.

The Government shall, by notification, appoint an advocate of not less than ten years standing at the Bar, as a Special Public Prosecutor or Special Government pleader for the purpose of conducting the case in the Designated Court.

17. Procedure and powers of Designated Court regarding offences



(1) The Designated Court may take cognizance of the offence without the accused being committed to it for trial and, in trying the accused person, shall follow the procedure prescribed in the Code of Criminal Procedure, 1973 (2 of 1974) for the trial of Sessions cases

(2) The provisions of the Code of Criminal Procedure, 1973 (2 of 1974) shall, so far as may be, apply to the proceedings before a Designated Court and for the purposes of the said provisions, a Designated court shall be deemed to be a Court of Magistrate.

18. Act to

Save as otherwise provided in this Act, the provisions of this Act

override other laws. shall have effect notwithstanding anything inconsistent therewith contained in any other law for the time being in force or any custom or usage or any instrument having effect by virtue of any such law.

19. Protection of action taken in good faith No suit or other proceedings shall lie against the Government or the Competent Authority or an officer or employee of the Government for anything, which is in good faith done or intended to be done under this Act.

20. Power to delegate. The Government may by notification in official Gazette, direct that powers exercisable by it under the Act may also be exercised by such officer as may be mentioned therein subject to such conditions if any, as may be specified therein.

21. Power to make rules. (1) The Government may by Notification in the official Gazette make rules for carrying out all or any of the purposes of this Act.



(2) In particular and without prejudice to the generality of the following power, such rules may provide for all or any of the following matters, namely:-

- a) all matters expressly required or allowed by this Act to be prescribed;
- b) the procedure for attachment of property on default of return of deposit and terms and conditions, if any, required for the purpose;
- c) the procedure for assessment of assets and deposit

liabilities by the Competent Authority,

- d) the procedure for reporting to the Designated Court by the Competent Authority;
- e) the manner in which the liabilities accruing to a financial establishment or person emanating out of the proceedings before a Designated Court is to be discharged out of the attached properties and assets in respect of such financial establishments or persons;
- f) the procedure for filing appeals by the Competent Authority if aggrieved by an order of the Designated Court;
- g) the maintenance of registers and books of accounts by the financial establishments covered under this Act, the safe custody of books, papers and documents in the office of the Competent Authority and also for destruction of such books, papers and documents no longer required;
- h) the auditing of the Balance Sheets and Profit and Loss Accounts.



3. Every rule made by the Government under this Act shall be laid as soon as may be after it is made before the House of the Legislative Assembly while it is in session for a total period of thirty days which may be comprised in one session or in two or more successive sessions, and if, before the expiry of the session immediately following the session or the successive sessions aforesaid, the Legislative Assembly agrees in making

any modification in the rule or the Legislative Assembly agrees that the rule should not be made, the rule shall thereafter have effect only in such modified form or be of no effect, as the case may be; so, however, that any such modification or annulment shall be without prejudice to the validity of anything previously done under that rule.


22. Power to
remove
difficulties.

1) If any difficulty arises in giving effect to the provisions of this Act, the Government may, by order published in the official Gazette, do anything, not inconsistent with the provisions of this Act, which appears to it to be necessary to remove the difficulty;

Provided that no such order shall be made after the expiry of the period of two years from the date of commencement of this Act.

2) Every order made under this section shall, as soon as may be after it is made, be laid before the House of the Legislative Assembly.




(S.R. Maheshwari)
Under Secretary (Law & Judicial) 23/7/2001

S. R. MAHESHWARI
Under Secretary (L.&J.)
Govt. of Delhi.
(Law & Judl. Deptt.)
Delhi Sachivalaya,
New Delhi.

॥दिल्ली राजपत्र असाधारण भाग-4 में प्रकाशनार्थ॥

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार,

॥विधि, न्याय एवं विधायी कार्य विभाग॥,

8वां तल, "सी" विंग, दिल्ली सचिवालय, आई.पी.एस्टेट, नई दिल्ली-2.

संख्या:फा.14/24/विधायी कार्य-2001/5596570 दिनांक 27 जुलाई, 2001

उपराज्यपाल, दिल्ली की दिनांक 20 जुलाई, 2001 को मिली अनुमति के पश्चात्
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली विधान सभा द्वारा पारित निम्न अधिनियम जन-
साधारण के सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है :-

दिल्ली जमाकर्ता ॥ वित्तीय स्थापनाओं में ॥ हित संरक्षण अधिनियम, 2001

॥दिल्ली अधिनियम संख्या: 10, 2001॥

॥राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की विधान सभा द्वारा दिनांक 3 अप्रैल, 2001 को
यथा पारित ॥

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली में ॥ वित्तीय स्थापनाओं में ॥ जमाकर्ताओं के
हित के संरक्षण के लिए,

एक

अधिनियम

इसे भारत के गणतंत्र को 52वें वर्ष में राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र दिल्ली की विधानसभा द्वारा निम्न प्रकार
से अधिनियमित किया जाए:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ

(1) इस अधिनियम को दिल्ली जमाकर्ता (वित्तीय स्थापनाओं में) हित
संरक्षण अधिनियम 2001 कहा जाए।

(2) यह तत्काल लागू होगा।

2. परिभाषाएं

जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, तब तक इस अधिनियम में

(क) "सहायक समाहर्ता" से तात्पर्य दिल्ली भूमि राजस्व अधिनियम,
1954 (1954 का 12) में तथा नियुक्त किसी
अधिकारी से है;

(ख) 'सधम प्राधिकारी' से तात्पर्य धारा 5 के अधीन नियुक्त प्राधिकारी
से है;

(ग) 'दिल्ली' से तात्पर्य राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली से है;

(घ) 'जमा' में ब्याज, बोनस, लाभ के रूप में या किसी अन्य रूप में
किसी अधि लाभ सहित या उसके बिना नकद रूप में या वस्तु के
रूप में या विनिर्दिष्ट सेवा के रूप में किसी विनिर्दिष्ट अवधि के
बाद या अन्यथा लौटायी जाने वाली किसी वित्तीय स्थापना द्वारा ध
न की प्राप्ति या किसी मूल्यवान वस्तु की स्वीकृति शामिल होगी
और हमेशा शामिल गानी जाएगी लेकिन इसमें निम्नलिखित
शामिल नहीं होंगी:-

- (1) शेयर पूंजी के रूप में या ऋण पत्र या बन्ध-पत्र के कार्य में या दिये गये मार्ग निदेश के अनुसार किसी अन्य दस्तावेजों के अन्तर्गत आने तथा भारतीय प्रतिभूति और विनियमन बोर्ड अधिनियम 1992 (1992 का 15) के अधीन स्थापित एस.ई.बी.आई. (सेबी) द्वारा दिए गए मार्गनिर्देशों और बनाए गए विनियमों के अधीन शामिल ऋण-पत्र, बन्ध पत्र या किसी अन्य दस्तावेज के रूप में जुटाई गई पूंजी।
- (2) किसी फर्म के साझेदारों द्वारा पूंजी के रूप में अंशदान की गई राशि;
- (3) किसी अनुसूचित बैंक या सहकारी बैंक से या बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (1949 का 10) की धारा 5 के खंड (ग) में यथा परिभाषित किसी अन्य बैंकिंग कम्पनी से प्राप्त राशियाँ;
- (4) निम्नलिखित से प्राप्त कोई राशि भी शामिल नहीं होगी -
 - (क) भारतीय औद्योगिक विकास बैंक;
 - (ख) किसी राज्य वित्त निगम;
 - (ग) भारतीय औद्योगिक विकास बैंक अधिनियम, 1964 (1964 का 18) की धारा 6 क में या उसके अधीन विनिर्दिष्ट कोई वित्तीय संस्था;
 - (घ) कोई अन्य संस्था जो सरकार द्वारा इस निमित्त विनिर्दिष्ट की गई हो;
- (5) निम्नलिखित के सामान्य कारोबार से प्राप्त राशि

(क) प्रतिभूति राशि;

(ख) बिक्री राशि;

(ग) बयाना जमा;

(घ) माल या सेवाओं के आर्डर लेने पर अग्रिम रूप में प्राप्त,

(6) धन उधार देने से संबंधित दिल्ली में तत्समय प्रवृत्त किसी अधिनियमन के अधीन पंजीकृत किसी व्यक्ति या किसी फर्म या व्यक्तियों की एसोसिएशन से जो निगमित निकाय नहीं है, प्राप्त राशि;

(7) किसी चिट के संबंध में अभिदान के रूप में प्राप्त कोई राशि;

स्पष्टीकरण 1 - 'चिट' का वही अर्थ होगा जो राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली पर लागू होने वाले मद्रास चिट फंड अधिनियम 1961 (मद्रास अधिनियम 1961 का 24) की धारा 2 के खंड (2) में इसका अर्थ दिया गया है।

स्पष्टीकरण 2 - किसी सम्पत्ति (चाहे चल या अचल हो) का बेचने पर बिक्रेता द्वारा क्रेता को दिये गये किसी क्रेडिट को इस खंड के प्रयोजनों के लिए जमा राशि नहीं माना जाएगा।

(ड.) 'निर्दिष्ट न्यायालय' से तात्पर्य धारा 10 के अधीन गठित निर्दिष्ट न्यायालय से है;

(च) 'वित्तीय स्थापना' से तात्पर्य किसी स्कीम या समझौते के तहत या किसी अन्य तरीके से जमा स्वीकार करने वाले किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह से है लेकिन इसमें राज्य सरकार या केन्द्र सरकार

या किसी संघ राज्य सरकार का अपना या उसके द्वारा नियंत्रित कोई निगम या सहकारी सोसाइटी या बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (1949 का 10) की धारा 5 के खंड ग में यथापरिभाषित बैंकिंग कम्पनी शामिल नहीं होगी;

(छ) "सरकार" से तात्पर्य राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार से है;

(ज) "उपराज्यपाल" से तात्पर्य संविधान के अनुच्छेद 239 क क के अधीन राष्ट्रपति द्वारा गठित राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली के प्रशासक से है।

3. वित्तीय स्थापना द्वारा कपटपूर्वक चूक

कोई वित्तीय स्थापना, जो वचन किए गए अनुसार परिपक्वता पर जमा की वापसी तथा ब्याज, बोनस, लाभ या किसी अन्य रूप में कोई अधिलाभ देने में कपट से चूक करती है या जमा के संबंध में जिस सेवा का आश्वासन उसके द्वारा दिया गया है उस सेवा को कपटपूर्वक नहीं देती, तो प्रत्येक व्यक्ति, इसमें ऐसी वित्तीय संस्थाओं के प्रबंधन के लिए जिम्मेदार या उसके कारोबार या कार्य व्यापार को करने के लिए जिम्मेदार प्रवर्तक (प्रमोटर) साझेदार, निदेशक, प्रबंधक या कोई अन्य व्यक्ति या कोई कर्मचारी, दोषसिद्धि होने पर ऐसे समय के कारावास की सजा से जो छः वर्ष तक हो सकेंगी, दण्डित किया जाएगा तथा उस पर जुर्माना, जो एक लाख रुपये हो सकेगा, लगाया जाएगा और ऐसी वित्तीय स्थापना को जुर्माना भी देना पड़ सकता है जो एक लाख रुपये तक बढ़ सकता है या ऐसी जमा को धन के रूप में आंका जा सकता है तो ऐसे चूक की राशि का दुगने का जुर्माना देना पड़ सकता है, इसमें से जो भी अधिक हो।

लेकिन न्यायालय के निर्णय में विशेष और पर्याप्त कारण दर्ज न होने पर भी कारावास की अवधि छः माह से कम की नहीं होगी और प्रति व्यक्ति जुर्माने की राशि 20 हजार से कम नहीं होगी और ऐसी

वित्तीय स्थापना के विरुद्ध 1 लाख रुपये से कम नहीं होगी।

स्पष्टीकरण- इस धारा के प्रयोजन के लिए कोई वित्तीय स्थापना, जो वचन किए गए अनुसार ब्याज, बोनस, लाभ के रूप में फायदे सहित या किसी अन्य रूप में राशि सहित ऐसी जमा की वापसी में चूक करती है या उस जमा के लिए विनिर्दिष्ट सेवा का वचन देने पर सेवा नहीं प्रदान करती या किसी व्यक्ति को दोषपूर्ण लाभ या किसी व्यक्ति को दोषपूर्ण हानि पहुंचाने के इरादे से जमा के लिए यथा स्वीकृत विनिर्दिष्ट सेवा प्रदान नहीं करती या ऐसी जमा स्वीकार करते समय किए गए अव्यवहार्य या व्यापारिक दृष्टि से अव्यवहार्य वायदों के कारण नहीं दे पाती है, उस जमा से अर्जित धन या आस्तियों के इस प्रकार से फैलाव करने के कारण, जिससे उसे आवश्यकता पड़ने पर उसे वसूल करने में अन्तर्निहित जोखिम है, चूक करती है तो यह कपटपूर्वक चूक माना जाएगा या विनिर्दिष्ट सेवा न दे पाना माना जाएगा।

4. जमा का प्रतिफल न देने में चूक (1) सरकार या दिल्ली के किसी राजस्व क्षेत्र के उपायुक्त अपने अपने क्षेत्राधिकार में स्वप्रेरणा से या शिकायत प्राप्त होने पर, शिकायत की या धारा 3 में उल्लिखित कपटपूर्वक सौदे की छानबीन करवा सकता है, उपायुक्त अपनी रिपोर्ट तथा शिकायत यथाशीघ्र धारा 5 के अन्तर्गत नियुक्त सक्षम अधिकारी को भेजेगा।
- (2) तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में दी गई किसी भी बात के बावजूद -
- (1) जहाँ जमाकर्त्ताओं से प्राप्त शिकायतों के आधार पर या अन्यथा सरकार इस बात से संतुष्ट हो कि कोई वित्तीय स्थापना विफल रही है।

(क) परिपक्वता होने के बाद या जमाकर्त्ता द्वारा मांग करने पर जमा वापस करने में

(ख) ब्याज या अन्य आश्वस्त लाभ देने में, या

(ग) ऐसी जमा के संबंध में वचन किए गए अनुसार सेवा प्रदान करने में असफल रही है।

(2)

जहाँ सरकार के पास यह विश्वास करने का कारण हो कि कोई वित्तीय स्थापना जमाकर्त्ताओं को धोखा देने के इरादे से जमाकर्त्ताओं के हित को नुकसान पहुंचाने वाले तरीके से काम कर रही है और सरकार इस बात से संतुष्ट हो कि ऐसी वित्तीय स्थापना जमा की वापसी या ब्याज का भुगतान या आश्वासन के अनुसार अन्य लाभ नहीं दे पाएगी या वह सेवाएं प्रदान नहीं कर पाएगी जिसके लिए जमाकर्त्ता से जमा प्राप्त की गई थी तो सरकार-ऐसी वित्तीय स्थापनाओं के जमाकर्त्ताओं के हित के संरक्षण के लिए लिखित में कारण दर्ज करने के बाद वह राशि या अन्य सम्पत्ति को जिसके लिए यह विश्वास हो वह ऐसी वित्तीय स्थापना द्वारा अपने नाम से या किसी अन्य व्यक्ति के नाम से उस वित्तीय स्थापना द्वारा प्राप्त की गई जमा से अर्जित की गई है, कुर्क करने का राजपत्र में आदेश प्रकाशित कर सकेगी, या

यदि उसे पता चले कि ऐसी राशि या अन्य सम्पत्ति कुर्की के लिए उपलब्ध नहीं है या जमा राशि की चुकौती करने के लिए पर्याप्त नहीं है तो उक्त वित्तीय स्थापना की अन्य ऐसी सम्पत्ति या उक्त वित्तीय स्थापना के प्रवर्तक, निदेशक साझेदार या प्रबंधक या सदस्य की निजी सम्पत्ति जैसा सरकार उचित समझे, को कुर्क कर सकेगी।

(3) उपधारा (2) के अधीन आदेश प्रकाशित होने पर वित्तीय स्थापना और उसमें उल्लिखित व्यक्तियों की सम्पत्तियों और परिसम्पत्तियाँ, निर्दिष्ट न्यायालय द्वारा अगले आदेश देने तक सरकार द्वारा नियुक्त

सक्षम प्राधिकारी के नियंत्रण में रहेगी।

5. सक्षम प्राधिकारी की नियुक्ति

- (1) सरकार धारा 4 की उपधारा (2) के अधीन आदेश जारी करते समय अपने किसी ऐसे अधिकारी को, जो समूह 'क' के अधिकारी के रैंक से नीचे के रैंक का नहीं होगा, धारा 4 के अधीन सरकार द्वारा कुर्क की गई धनराशि और सम्पत्ति पर नियंत्रण करने के लिए सक्षम प्राधिकारी के रूप में नियुक्त करेगी।
- (2) सक्षम प्राधिकारी, कथित आदेश के प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के अंदर एक या अधिक शपथपत्र संलग्न करके आवेदन करेगा और उसमें वह उन कारणों का उल्लेख करेगा जिनके आधार पर सरकार ने धारा 4 के अधीन आदेश जारी किया और जिनके आधार पर यह विश्वास करने का कारण है कि धनराशि या अन्य सम्पत्ति जमाकर्त्ताओं से प्राप्त जमा से अर्जित की गई है और उन व्यक्तियों के ब्योरे देगा जिनके नाम पर वह सम्पत्ति निवेश की गई या अर्जित की गई या धारा 4 के अधीन कोई अन्य सम्पत्ति निर्दिष्ट न्यायालय द्वारा आवश्यकता पड़ने पर अगली आदेश देने तक कुर्क की गई।
- (3) सक्षम प्राधिकारी भी किसी विशेष न्यायालय या निर्दिष्ट न्यायालय या किसी अधिनियम के अधीन वित्तीय स्थापना की धनराशि या सम्पत्ति या परिसंपत्तियों से संबंधित किसी मुद्दे या विषय पर अधि निर्णय देने के लिए किसी अन्य राज्य सरकार या किसी संघ राज्य सरकार द्वारा स्थापित या गठित या शक्ति प्रदत्त किसी अन्य न्यायिक मंच को आवेदन करेगा जहां इस अधिनियम के उपबंधों के लागू करने के लिए समुचित आदेश पारित करने के लिए निर्दिष्ट न्यायालय नहीं है या किसी स्थापना की या किसी व्यक्ति की धनराशि या सम्पत्ति या परिसम्पत्तियाँ या प्रकट रूप से उस

स्थापना की धनराशि या सम्पत्ति या परिसम्पत्तियों के संबंध में यथास्थिति कोई निर्दिष्ट न्यायालय या कोई न्यायिक फार्म स्थित नहीं है।

6. सक्षम प्राधिकारी के कर्तव्य और शक्तियाँ
- (1) धारा 5 की उपधारा (1) की सामान्य बातों पर कोई प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना सक्षम प्राधिकारी इस अधिनियम के प्रयोजन के लिए निम्नलिखित कार्य करेगा: -
- 2(1) नियुक्ति के आदेश प्राप्त होने पर सक्षम प्राधिकारी ऐसी आवश्यक कार्रवाई करेगा जो वह सम्बद्ध वित्तीय स्थापना की सभी धनराशियाँ, सम्पत्तियाँ और आस्तियाँ की यथाशीघ्र वास्तव में अपने कब्जे में लेने के आवश्यक या उचित समझे और सक्षम प्राधिकारी के पास ऐसी सभी शक्तियाँ होगी जो उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यक हैं: -
- (2) इस उपधारा की उपधारा खंड (1) के अधीन प्रदान की गई शक्तियों की सामान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना सक्षम प्राधिकारी
- (क) किसी पुलिस अधिकारी या किसी प्राधिकारी से कोई सहायता लेने का हकदार होगा और ऐसी सहायता मांगने पर पुलिस अधिकारी या अन्य ऐसे प्राधिकारी या व्यक्ति का यह दायित्व होगा कि वह उसे आवश्यक सहायता दें।
- (ख) किसी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक में खाता खोलने और प्राप्त धनराशि को उसमें जमा करवाने और बैंक खाता चलाने का उस समय हकदार होगा जब वह सक्षम प्राधिकारी के रूप में प्राप्त धनराशि पर कार्रवाई कर रहा हो।
- (ग) जिसके बारे में यह विश्वास हो कि उसके कब्जे में या उसके

नियंत्रण में उस वित्तीय स्थापना की कोई धन राशि, सम्पत्ति या आस्तियां हैं उनसे आवश्यक सूचना मांगने का ऐसी आस्तियों को सक्षम प्राधिकारी को सौंपने का हकदार होगा और उस व्यक्ति को समय गंवाए बिना ऐसी मांग को पूरा करना होगा।

- (घ) विधिक प्रैक्टिशनर या चार्टर्ड एकाउंटेंट या कोई अन्य व्यक्ति नियुक्त करने का हकदार होगा जिसकी सेवाएं उस वित्तीय स्थापना की आस्तियों को कब्जे में लेने और वसूल करने के लिए आवश्यक हैं।
- (ङ) उस वित्तीय स्थापना की या उसके नियंत्रण में किसी बिक्री योग्य प्रतिभूति या परक्राम्य लिखत को बेचने, प्राप्त करने, अंतरित करने, पृष्ठांकित करने या अन्यथा कार्रवाई करने का हक होगा।
- (च) उस वित्तीय स्थापना की या उसके नियंत्रण में कोई चल या अचल सम्पत्ति को सार्वजनिक नीलामी द्वारा या निर्दिष्ट न्यायालय के पूर्वानुमोदन से निजी व्यवस्था द्वारा बेचने, अंतरित करना या अन्यथा वसूल करने का हक होगा।
लेकिन अस्तियों की नश्वर मदों को, जैसे ही सक्षम प्राधिकारी उचित समझे, सार्वजनिक नीलामी द्वारा बेचा जाएगा।
- (छ) निर्दिष्ट न्यायालय द्वारा पारित आदेशों के अनुसार बैंक खातों से भुगतान करने का हकदार होगा।
- (ज) ऐसे सभी कार्य और कृत्य करने का हकदार होगा जो उस वित्तीय स्थापना की अस्तियों की तुरंत वसूली के लिए आवश्यक समझी जाए।

स्पष्टीकरण – इस धारा के प्रयोजन के लिए 'वित्तीय स्थापना' शब्द में कथित स्थापना के निदेशक, प्रवर्तक प्रबंधक या सदस्य या कोई अन्य ऐसा

व्यक्ति शामिल होगा जिसकी सम्पत्ति या अस्तियां धारा 4 के अधीन कुर्क की गई हैं।

7. आस्तियों का मूल्यांकन
और जमा देयता

- (1) नियुक्ति की तारीख से 60 दिन के अंदर सक्षम प्राधिकारी उस वित्तीय स्थापना जमा देयताओं का और आस्तियों का मूल्यांकन करेगा और उसका विवरण निर्दिष्ट कार्यालय को प्रस्तुत करेगा।
- (2) उसके बाद सक्षम प्राधिकारी प्रत्याभूत लेनदारों से यदि कोई हो और इस वित्तीय स्थापना के जमाकर्त्ताओं से दावे आमंत्रित करके एक-एक व्यक्ति को या किसी बड़े समाचार पत्र में प्रकाशित करवा कर एक नोटिस जारी करेगा ताकि उनके दावे समुचित सबूत के साथ प्रस्तुत किए जा सकें।
- (3) उपधारा 2 के अधीन भेजे गए या प्रभावी माने गए प्रत्येक नोटिस में यह उल्लिखित किया जाएगा कि यदि दावे का विवरण नोटिस की तारीख से एक महीने की अवधि समाप्त होने से पूर्व सक्षम प्राधिकारी को नहीं भेजा जाता तो उन दावों को ऐसे दावे माना जाएगा जिनका इस अधिनियम के अधीन भुगतान करना होगा।
- (4) प्रत्याभूत लेनदार को भेजे गए प्रत्येक नोटिस में लेनदार से यह अपेक्षित होगा कि वह नोटिस की तारीख से एक महीने की समाप्ति से पहले प्रतिभूति का मूल्य बताए और उस नोटिस में यह भी लिखा जाएगा कि यदि दावे का विवरण तथा प्रतिभूति या मूल्य सक्षम प्राधिकारी को नहीं भेजा जाता तो सक्षम प्राधिकारी स्वयं उस प्रतिभूति का मूल्य निर्धारित करेगा और वह मूल्यांकन प्रत्याभूत लेनदारों पर बाध्यकारी होगा।
- (5) यदि दावेदार उपधारा 4 के अनुसार नोटिस का अनुपालन नहीं कर पाता तो ऐसी प्रतिभूति का मूल्य निर्धारण सक्षम प्राधिकारी के अपने विवेक से किया जाएगा।

8. सक्षम प्राधिकारी द्वारा रिपोर्ट धारा 7 के अनुसार रिपोर्ट करने के बाद सक्षम प्राधिकारी, वसूल की गई राशि में जमाकर्त्ताओं को भुगतान करने की अनुमति मांगते हुए निर्दिष्ट न्यायालय को आवेदन करेगा। ऐसा आवेदन करते समय सक्षम प्राधिकारी जमाकर्त्ताओं को दी जाने वाली राशि और अन्य देयताओं का निर्धारण करेगा और यदि वसूल की गई या वसूल की जाने वाली राशि देयता पूरी करने के लिए पर्याप्त नहीं है जमाकर्त्ताओं का भुगतान करने के लिए अनुमति मांगते हुए निर्दिष्ट कार्यालय को निवेदन करेगा और निर्दिष्ट कार्यालय के आदेशों के अनुसार राशि का सवितरण करेगा।
9. निर्दिष्ट न्यायालय की शक्तियाँ आस्तियों की वसूली करने और जमाकर्त्ताओं को भुगतान करने के संबंध में
- (1) निर्दिष्ट न्यायालय के पास इस अधिनियम के उपबंधों को लागू करने की सभी शक्तियाँ होगी।
- (2) उपधारा (1) की सामान्य बातों पर कोई प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना निर्दिष्ट न्यायालय
- (क) सक्षम प्राधिकारी को कोई ऐसा निर्देश दे सकता है जैसा वह इस अधिनियम के उपबंधों को सफलतापूर्वक लागू करने के लिए उचित समझे।
- (ख) उस वित्तीय स्थापना की देयताओं का विविध देनदारों से प्राप्त राशियों का विवरण अनुमोदित कर सकेगा उस वित्तीय स्थापना की आस्तियों का मूल्य निर्धारण कर सकेगा और जमाकर्त्ताओं और उनकी देयताओं की सूची को अंतिम रूप दे सकेगा।
- (ग) उस वित्तीय स्थापना की या उसके नियंत्रणाधीन किसी आस्तियों को कब्जे में लेने के लिए और कुर्क सम्पत्तियों को सार्वजनिक नीलामी द्वारा या आस्तियों के स्वरूप को देखते हुए प्राइवेट बिक्री द्वारा बेचने, अंतरित करने या वसूल करने का और बिक्री आगम को बैंक खातों

में क्रेडिट करने का निर्देश सक्षम प्राधिकारी को दे सकेगा।

(घ) उस वित्तीय स्थापना की आस्तियों को कब्जे में लेने और वसूल करने पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा किए गए आवश्यक व्यय को अनुमोदित कर सकेगा।

(ङ) सक्षम प्राधिकारी द्वारा जमाकर्त्ताओं को भुगतान करने का आदेश दे सकता है या यदि वसूल की राशि पूरी जमा देयता को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं है तो समानुपात में भुगतान करने का आदेश दे सकेगा।

(च) ऐसा कोई आदेश पारित कर सकता है जो निर्दिष्ट न्यायालय उस वित्तीय स्थापना की आस्तियों को वसूल करने के लिए और उस वित्तीय स्थापना के जमाकर्त्ताओं की जमा की चुकौती करने के लिए उचित या उससे संबंधित किसी मुद्दे या मामले पर आदेश करना उचित समझे।

स्पष्टीकरण – इस धारा के प्रयोजन “वित्तीय स्थापना” शब्द में उक्त स्थापना का निदेशक, प्रवर्तक, प्रबंधक या सदस्य या कोई अन्य ऐसा व्यक्ति शामिल होगा जिनकी सम्पत्ति या आस्तियां धारा 4 के अधीन कुर्क की गईं।

10. निर्दिष्ट न्यायालय

(1) इस अधिनियम के प्रयोजन से सरकार राजपत्र में अधिसूचना के द्वारा दिल्ली उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की सहमति से अधिसूचना में यथा निर्धारित ऐसे क्षेत्र या क्षेत्रों या ऐसे मामलों या मामलों के वर्ग के लिए अतिरिक्त जिला या सेशन न्यायालय सहित जिला या सेशन जज के कोडर में एक या अधिक न्यायालयों का गठन कर सकती है।

(2) निर्दिष्ट न्यायालय के अतिरिक्त प्रेसिडेंसी नगर दिवाला अधिनियम

1909 (1909 का 3) और प्रांतीय दिवाला अधिनियम 1920 (1920 का 5) के अंतर्गत स्थापित न्यायालय सहित किसी भी न्यायालय का इस अधिनियम के उपबन्धों के अंतर्गत आने वाले मामलों के संबंध में अधिकार क्षेत्र नहीं होगा।

- (3) इस अधिनियम के उपबन्धों के अंतर्गत आने वाले किसी भी मामले से संबंधित किसी भी न्यायालय में लंबित मामले इस अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (2) के अंतर्गत जारी अधिसूचना की तारीख से ही निर्दिष्ट न्यायालयों में अंतरित माने जायेंगे।

11. कुर्की के सम्बंध में निर्दिष्ट
न्यायालय की शक्तियाँ

- (1) धारा 5 के अंतर्गत आवेदन की प्राप्ति पर यह निर्दिष्ट न्यायालय वित्तीय स्थापना में या किसी अन्य व्यक्ति को, जिसकी सम्पत्ति की कुर्की की जानी हो और धारा 4 के अन्तर्गत सरकार द्वारा सक्षम प्राधिकारी के पास निहित सम्पत्ति हो के सम्बन्ध में आवेदन तथा शपथ पत्रों और दर्ज किए गए साक्ष्यों, यदि कोई हो, के साथ नोटिस जारी करेगी, जिसमें उक्त स्थापना और उक्त व्यक्ति से इस नोटिस में विनिर्दिष्ट तारीख को या इससे पहले यह स्पष्टीकरण मांगा जाएगा कि इन कुर्की के आदेशों को अंतिम क्यों न माना जाए।
- (2) अनिर्दिष्ट न्यायालय ऐसे सभी व्यक्तियों को ऐसा नोटिस भी जारी करेगा जिन्होंने उस वित्तीय स्थापना की संपत्ति में दावे, किसी हित या हक के लिए अभ्यावेदन किया हो या करने की संभावना हो या उस व्यक्ति को नोटिस जारी करेगा जिसे उपधारा (1) के अधीन नोटिस जारी किया गया हो उस नोटिस में सभी व्यक्तियों को नोटिस में विनिर्दिष्ट तारीख को पेश होने के लिए मांग करेगा और यदि संपत्ति या उसके किसी भाग की कुर्की करने पर उन्हें कोई आपत्ति हो तो इस आधार पर वह आपत्ति करने के लिए कहेगा कि उनका उस संपत्ति या उसके किसी भाग में हित है।

(3) कुर्की की सम्पत्ति या उसके किसी भाग में अपने हित का दावा करने वाला कोई भी व्यक्ति इसे धारा के अन्तर्गत उसे नोटिस न दिए जाने के बावजूद भी उपधारा (4) या उपधारा (6) के अंतर्गत आदेश पारित किए जाने से पूर्व निर्धारित तारीख को या इससे पहले निर्दिष्ट न्यायालय को ऊपर बताए अनुसार अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है।

(4) यदि उपधारा (1) के अधीन निर्धारित तारीख को या इससे पहले कोई कारण नहीं बताया जाता या किसी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं की जाती तो निर्दिष्ट न्यायालय तत्काल कुर्की के कार्य को आत्यंतिक करने सम्बन्धी आदेश करेगी और कुर्की की गई परिसम्पत्तियों की वसूली के लिए तथा कुर्की से वसूल राशि का जमाकत्ताओं में साम्यापूर्ण वितरण करने के लिए यथावश्यक दिशानिर्देश जारी करेगी।

(5) यदि उपरोक्तानुसार कोई स्पष्टीकरण दिया जाता है या कोई आपत्ति दर्ज की जाती है तो निर्दिष्ट न्यायालय इसकी जांच-पड़ताल करेगी और इस जांच-पड़ताल के दौरान पार्टियों और अन्य पहलुओं की जाँच के संबंध में निर्दिष्ट न्यायालय इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 (1908 का 5) के अंतर्गत यथा अनुध्यात सक्षिप्त प्रक्रिया का पालन करेगी और उपर्युक्त संहिता के अंतर्गत मुकदमों की सुनवाई में न्यायालय की सभी शक्तियों का उपयोग करेगी।

(6) उपधारा (5) के अधीन जांच करने के उपरान्त निर्दिष्ट न्यायालय

शीघ्रातिशीघ्र, अधिमानतः उसे मामला भेजने के एक वर्ष के भीतर स्पष्ट रूप से धारा 4 की उपधारा (2) के अंतर्गत कुर्की के आदेश पारित करेगा अथवा कुर्क की जाने वाली संपत्ति के कुछ भाग को बिनर्मक्त करके उसमें परिवर्तन करेगा या कुर्की के आदेश को रद्द करेगा।

परन्तु यह कि निर्दिष्ट न्यायालय ऐसे किसी हित से कुर्की को निर्मुक्त नहीं करेगा जिससे इस बात का समाधान हो जाता हो कि वित्तीय स्थापना या उपधारा (1) में संदर्भित व्यक्ति के अधिकार में संपत्ति रही है बशर्ते कि उसने यह भी समाधान किया हो कि कुर्की की राशि अथवा सम्पत्ति का मूल्य उस राशि से कम नहीं हो जो ऐसी वित्तीय स्थापनाओं के जमाकर्ताओं को पुर्नभुगतान के लिए अपेक्षित हो।

- (7) जहाँ इससे मिलते-जुलते अधिनियम के अधीन राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र की सरकार द्वारा विधिवत रूप से प्राधिकृत या गठित या निर्दिष्ट किसी व्यक्ति द्वारा उसे राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र की सरकार द्वारा किसी धन या कुर्क की गई सम्पत्ति या परिसम्पत्तियों को अधिकार में लेने के लिए प्राधिकृत करने से सम्बन्धित आवेदन प्रस्तुत किया जाता है, वहाँ निर्दिष्ट न्यायालय अपनी सभी शक्तियों का इस प्रकार प्रयोग करेगा मानो ऐसा आवेदन इस अधिनियम के अधीन प्रस्तुत किया गया हो और ऐसे आवेदन पर वह समुचित आदेश या निर्देश जारी करेगा ताकि ऐसे अधिनियम के उपबंधों को लागू किया जा सके।

12. दुर्भावपूर्ण अंतरिती की सम्पत्ति की कुर्की

- (1) जहाँ धारा 4 में सन्दर्भित वित्तीय स्थापना या अन्य व्यक्ति की कुर्क की जाने वाली उपलब्ध परिसम्पत्तियों का मूल्य उस राशि या मूल्य से कम पाया जाता है जो जमाकर्ताओं को लौटाने के लिए ऐसी वित्तीय स्थापना के लिए अपेक्षित हो और जहाँ निर्दिष्ट न्यायालय शपथपत्र द्वारा या अन्य प्रकार से संतुष्ट हो कि इस बात पर विश्वास

करने का पर्याप्त आधार है कि उक्त वित्तीय स्थापना से सद्भाव और प्रतिफल के बिना सम्पत्ति का कोई भाग अन्तरित कर दिया है (चाहे इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के बाद अन्तरित किया हो) वहाँ निर्दिष्ट न्यायालय ऐसी सम्पत्ति (चाहे उसने यह सम्पत्ति उक्त वित्तीय स्थापना से सीधी प्राप्त की हो अथवा नहीं) के अन्तरिती को नोटिस जारी करके नोटिस में निर्दिष्ट तारीख को बुला सकती है और कारण बताओ नोटिस जारी कर सकती है कि इसके लिए अन्तरिती की सम्पत्ति का उतना हिस्सा क्यों न कुर्क किया जाए जो अन्तरित सम्पत्ति के मूल्य के बराबर हो।

- (2) जहाँ उक्त अन्तरिती निर्धारित तिथि को उपस्थित नहीं होता है अथवा कारण स्पष्ट नहीं करता है, अथवा जहाँ धारा 7 की उप-धारा (5) में निर्धारित विधि के अनुसार जाँच करने के बाद निर्दिष्ट न्यायालय इस बात से सन्तुष्ट हो कि उक्त अन्तरिती की सम्पत्ति का अन्तरण सद्भाव तथा प्रतिफलार्थ नहीं किया गया था, वहाँ निर्दिष्ट न्यायालय उक्त अन्तरिती की सम्पत्ति का वह भाग कुर्क करने का आदेश दे सकती है जो वह अन्तरित सम्पत्ति के उचित मूल्य के बराबर आवश्यक समझता हो।

13. कुर्की के बदले में प्रतिभूति

ऐसी कोई भी स्थापना या व्यक्ति जिसकी सम्पत्ति को इस अधिनियम के अधीन कुर्क किया जाना है, निर्दिष्ट न्यायालय में ऐसी कुर्की के बदले में प्रतिभूति देने के लिए किसी भी समय आवेदन कर सकता है और जहाँ निर्दिष्ट न्यायालय की राय में इस प्रकार से प्रस्तावित और प्रदत्त प्रतिभूति सन्तोषजनक तथा पर्याप्त समझी जाती है, वहाँ न्यायालय कुर्की के आदेश को रद्द कर सकती है अथवा यथास्थिति कुर्की के आदेश को पारित करने से विरत रह सकती है।

14. कुर्क की गई सम्पत्ति का प्रशासन

निर्दिष्ट न्यायालय इस अधिनियम के अधीन सक्षम प्राधिकारी की कुर्क की गई तथा निहित सम्पत्ति में रुचि रखने वाले व्यक्ति के आवेदन पर तथा सक्षम प्राधिकारी को सुनवाई का अवसर देने के बाद निम्नलिखित के

सम्बन्ध में ऐसे आदेश जारी कर सकती है जिन्हें वह उचित और युक्तिसंगत समझे: -

- (क) सक्षम प्राधिकारी की कुर्क की गई तथा निहित सम्पत्ति में से ऐसी राशि प्रदान करना जिसके लिए आवेदक अपने ऐसे हित का दावा करता हो, जो आवेदक तथा उसके परिवार के भरण-पोषण और धारा 3 के अधीन निर्दिष्ट न्यायालय में उसके विरुद्ध चलाई जा रही आपराधिक कार्यवाहियों के लिए उसके बचाव से जुड़े खर्चों के लिए समुचित रूप से आवश्यक है।
- (ख) जहाँ तक व्यवहार्य हो, कुर्की के कारण प्रभावित व्यवसाय के हित और विशेष रूप से ऐसे व्यवसाय में किसी भी साझेदार के हित के लिए सुरक्षा उपाय करना।
- (ग) निर्दिष्ट न्यायालय के सम्मुख कार्यवाही के कारण उत्पन्न वित्तीय स्थापना या व्यक्ति के सम्बन्ध में प्रोदभूत ऐसी देयताओं का निर्वहन धारा 4 में यथा निर्दिष्ट ऐसी वित्तीय स्थापनाओं या व्यक्ति के सम्बन्ध में कुर्क की गई सम्पत्तियों तथा परिसम्पत्तियों की राशि से सरकार द्वारा निर्धारित रीति से किया जाएगा।

15. अपील

निर्दिष्ट न्यायालय के आदेश से व्यथित कोई भी व्यक्ति, जिसमें सक्षम प्राधिकारी भी शामिल हैं, आदेश जारी होने की तिथि से 60 दिन के भीतर उच्च न्यायालय में अपील कर सकता है।

16. विशेष लोक अभियोजक

सरकार अधिसूचना द्वारा निर्दिष्ट न्यायालय में मामले को संचालित करने के उद्देश्य से विशेष लोक अभियोजक या विशेष सरकारी प्लीडर के रूप में किसी ऐसे अधिवक्ता को नियुक्त कर सकती है जिसने बार में कम से कम 10 वर्ष तक कार्य किया है।

17. प्रक्रिया और अपराध के सम्बन्ध में निर्दिष्ट न्यायालय की शक्तियाँ

- (1) निर्दिष्ट न्यायालय विचारण के लिए अभियुक्त को सुपुर्द किए बिना अपराध का सज़ान ले सकता है और अभियुक्त के विचारण में सत्र मामलों के विचारण से संबंधित दंड प्रक्रिया संहिता 1973 (1974

का 2) में निर्धारित प्रक्रिया को अनुपाल किया जाएगा।

- (2) दंड प्रक्रिया संहिता 1973 (1974 का 2) के उपबन्ध यथा सम्भव निर्दिष्ट न्यायालय के सम्मुख प्रस्तुत कार्यवाही पर लागू होंगे और उक्त उपबन्धों को प्रयोजनार्थ अभिहित न्यायालय को मजिस्ट्रेट न्यायालय समझा जाएगा।

18. अधिनियम अन्य
कानूनों पर अधिभावी

इस अधिनियम में अन्यथा उपबन्धित को छोड़कर, इस अधिनियम के उपबन्धों का तत्समय लागू किसी अन्य कानून में निहित उससे असंगत किसी बात के होते हुए अथवा ऐसी किसी रूढ़ि या प्रथा अथवा लिखत जिसका ऐसे किसी कानून के कारण कोई प्रभाव पड़ता हो, का इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

19. सद्भाव से की गई
कार्रवाई का संरक्षण

सरकार अथवा सक्षम अधिकारी या किसी सरकारी अधिकारी या कर्मचारी के विरुद्ध ऐसी किसी बात के लिए कोई वाद या अन्य कार्रवाई नहीं की जाएगी जो इस अधिनियम के अधीन सद्भाव से की गई हो या की जानी हो।

20. प्रत्यायोजित करने
की शक्तियाँ

सरकार शासकीय राजपत्र में अधिसूचना जारी करके निर्देश दे सकती है कि अधिनियम के अधीन उसके द्वारा प्रयोग की जाने वाली शक्तियों का प्रयोग उस अधिकारी द्वारा किया जा सकता है जिसे उसमें निर्दिष्ट शर्तों, यदि कोई हो, के अधीन निर्दिष्ट किया जाएगा।

21. नियम बनाने की
शक्ति

- (1) सरकार इस अधिनियम के प्रयोजनार्थ सभी अथवा किसी भी कार्य को पूरा करने के लिए राजपत्र में अधिसूचना जारी करके नियम बना सकती है।

- (2) विशेष रूप से तथा निम्नलिखित शक्तियों की व्यापकता पर

प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, निम्नलिखित मामलों में से सभी के लिए अथवा किसी एक के लिए ऐसे नियमों का प्रावधान किया जाएगा अर्थात् -

- (क) इस अधिनियम के द्वारा स्पष्ट रूप से अपेक्षित या अनुमत अथवा निर्धारित किए जाने वाले सभी मामले,
- (ख) जमा राशि लौटाने में चूक करने पर इस प्रयोजन के लिए अपेक्षित निबन्धन और शर्तों के आधार पर सम्पत्ति की कुर्की करने की प्रक्रिया।
- (ग) सक्षम प्राधिकारी द्वारा परिसम्पत्तियों और जमा राशि से सम्बन्धित देयताओं के मूल्यांकन की प्रक्रिया
- (घ) सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्दिष्ट न्यायालय को सूचित करने की प्रक्रिया।
- (ङ.) जिस रूप में अभिनामित न्यायालय की कार्यवाही से सामने आने वाले वित्तीय संस्थान या व्यक्ति के बारे में पैदा होने वाले दायित्वों को अटैच की गई सम्पत्ति तथा उक्त वित्तीय संस्थान या व्यक्ति की परिसम्पत्ति में से निष्पादित किया जायेगा।
- (च) निर्दिष्ट न्यायालय के आदेश से व्यथित होने पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा अपील दायर करने की प्रक्रिया।
- (छ) इस अधिनियम के अन्तर्गत आने वाले वित्तीय स्थापनाओं द्वारा बनाए गए रजिस्ट्रों और बहियों का अनुरक्षण, सक्षम प्राधिकारी के कार्यालय में बहियों, कागजात तथा दस्तावेजों को सुरक्षित अभिरक्षा में रखना और जिन बहियों, कागजात तथा दस्तावेजों की आवश्यकता न रह गई हो उन्हें नष्ट करने की प्रक्रिया।

(ज) तुलन-पत्रों तथा लाभ-हानि लेखों की लेखा परीक्षा


- (3) इस अधिनियम के अधीन सरकार द्वारा बनाए गए प्रत्येक नियम को तैयार हो जाने के तुरंत बाद शीघ्रातिशीघ्र उस समय विधान मण्डल में रखा जाएगा जब सत्र कम से कम 30 दिन के लिए बुलाया गया हो जिसमें एक सत्र या दो सत्र अथवा इससे अधिक सत्र भी शामिल होंगे और यदि एक सत्र व क्रमिक सत्रों की समाप्ति से ठीक पहले विधान सभा नियम में कोई संशोधन करने के लिए सहमत हो जाती है अथवा विधान सभा द्वारा इस बात पर सहमत हो जाती है कि नियम न. 9 बनाया जाए तो उसके बाद नियम को संशोधित रूप में तब ही प्रभावी या अप्रभावी, जैसी भी स्थिति हो, समझा जाएगा तथापि, इस प्रकार से किया गया कोई संशोधन या निरसन का उक्त नियम के अधीन इससे पहले किए गए किसी संशोधन या निरसन की वैधता पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

22. कठिनाईयों के निराकरण की शक्तियाँ

- (1) यदि इस अधिनियम के उपबंधों को कार्यान्वित करने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है तो सरकार राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा इस अधिनियम के उपबंधों के असंगत ऐसा कोई कार्य नहीं करेगी जो उस कठिनाई को दूर करने के लिए आवश्यक प्रतीत हो।

परन्तु यह कि ऐसा आदेश इस अधिनियम के लागू होने की तारीख से दो वर्ष की अवधि समाप्त हो न जाने के बाद नहीं किया जाएगा।

- (2) इस धारा के अधीन किया गया प्रत्येक आदेश उसके तैयार हो जाने के बाद शीघ्रातिशीघ्र विधान सभा में रखा जाएगा।


§एस०आर० महेश्वरी§,
अवर सचिव §विधि एवं न्याय§.
एस०आर० महेश्वरी
अवर सचिव (विधि एवं न्याय)
दिल्ली सरकार
(विधि एवं न्याय विभाग)
दिल्ली